

भारतीय लेखापरीक्षक एवं लेखा विभाग,  
पधन महलेखाकर (लेखापरीक्षक-1) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,  
amg1hqrs.mpi.au@cag.gov.intour

programme

लेखापरीक्षक प्रबंधन समूह प्रथम के दल क्र. 08 का दौरा कार्यक्रम

टीजीएस के अंतर्गत नमूना जांच लेखापरीक्षक

श्री महेश चन्द मीणा स.ते.प.अ.	श्री पिन्सुल निरंजन स.ते.प.अ.	श्री अमय लाल पटेल सहायक पर्यवेक्षक
क्र. स.	इकाई का नाम	कार्य दिनांक
	प्रस्थान: आत्मपुर मिंड	12.01.25
01	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, आत्मपुर, मिंड (अवधि 04/16 से 03/24)	10 13.01.25 से 24.01.25
	प्रस्थान: मुलतई	25.01.25
02	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, मुलतई (अवधि 09/22 से 03/24)	10 27.01.25 से 07.02.25
	प्रस्थान: सारणी	08.02.25/09.02.25
03	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सारणी बैतूल (अवधि 10/17 से 03/24)	10 10.02.25 से 21.02.25
	प्रस्थान: कुरावर, भोपाल	22.02.25/23.02.25
04	कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, कुरावर, भोपाल (अवधि प्रारंभ से 03/24)	09 24.02.25 से 07.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर	08.03.25
	मुख्यालय पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति	04 10.03.25 से 15.03.25
	प्रस्थान: सीधी	16.03.25
05	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, एवं पयनित ग्राम पंचायत, सीधी (अवधि 04/16 से 03/24)	10 17.03.25 से 28.03.25
	प्रस्थान: ग्वालियर	29.03.25

अवकाश: जनवरी 2025- 11,12,18,19,25,26 फरवरी- 01,02,08,09,12,15,16,22,23,26 मार्च- 01,02,08,09,14,15,16

टीपः: इकाई से संबंधित शिक्कयत प्रकरण यदि कोई हो तो उसकी जांच किया जाना सुनिश्चित करें ।

- 2 दल के सदस्य प्रस्थान लेने से पूर्व Movement Register पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।
3. संलग्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व में जारी निर्देशों का भी पालन करें ।
4. टी.जी.एस. के अंतर्गत लेखापरीक्षक के फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी में मुख्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।  
(प्राधिकार: महलेखाकर महोदय के अनुमोदन उपरांत जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षक अधिकारी/मुख्यालय

(प्राधिकार: महत्त्वलेखाकार महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/मुख्यालय  
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रयम

क्र/ एम जी- 1/दौरा कार्यक्रम/एस/टी/आर/ 938

दिनांक :- 03.01.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक करवाई हेतु प्रेषित :-

- 1.सचिवालय, उप महत्त्वलेखाकार/ए एम जी-1 को सूचनार्थ ।
- 2.व.ले.प.अ./ए.पी.डी.ए.सी.
- 3.व ले प अ/ आई एस विंग वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 4.व ले प अ / ए एम जी -1 (रिपोर्ट) , टी जी एस एवं स.ले.प.अ./डी.सी.ए. ।
- 5.समस्त दल के सदस्यों को अनुपालन हेतु ।